भारत में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ

1030. श्री राम चरण : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रौद्योगिकीय इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक संस्थापनों में कितने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के स्थान पर विदेशों में काम कर रहे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को विदेशी विशेषज्ञों को दिये जाने वाले वेतनमानों पर रखने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रश्न का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण, जानकारी एकत्र करने में जितना समय और धन लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी

1031. श्री राम चरण :
श्री मोहसिन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के पश्चात् पढ़े-लिखे तथा कम पढ़े-लिखे बेरोज़गार लोगों की संख्या (राज्यवार) क्या थी तथा अब उनकी संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संख्या को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग): सवाल पैदा नहीं होता ।

मंत्रियों के निजी कर्मचारी

1032. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों और उपमंत्रियों के साथ इस समय काम कर रहे उनके निजी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वर्गवार संख्या क्या है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में डाकघर की सुविधाएं

1033. श्री राम चरण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने डाकघर हैं और कितने डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) आगामी दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सरकार का कितने नये डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) क्या नये डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 11,698 डाकघरों में से 6,911 डाकघरों में बचत बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) पूंजी के उपलब्ध होने और मान-दंड पूरे होने पर 827 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) कुछ प्रस्तावित नये डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इन सुविधाओं की व्यवस्था करना इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार डाकघर किसी "श्रेणी" वाले स्थान पर स्थित हो; अन्यथा प्रस्ताव लाभप्रद होने चाहिए या उन पर होने वाली हानि की पूर्ति की गारंटी मिलनी चाहिए।

Monthly Emoluments of C. R. P. Constabulary

1934. Shri Nitiraj Singh Chandhary: Will the *Minister of Home Affairs* be pleased to state:

(a) the total monthly emoluments paid to the Constables and Head Constables of the Central Reserve Police;

(b) whether these emoluments are equal to or less than the emoluments paid by States to their police constables and head-constables; and

(c) if less, by how much per month and *vis-a-vis* which State?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The following emoluments are admissible to Constables and Head Constables of the Central Reserve Police:

	Pay Scales	*Dearness Allowance*
1. Constables	Rs. 75-1-85-EB-2-95	Rs. 47/- p.m.
2. Head Constables	Rs. 100-3-130	Rs. 47/- for pay upto Rs. 109/- and Rs. 70/ for pay of Rs. 110/-or more

Besides, they are also eligible for house rent allowance @ 7-1/2 per cent of pay when they are not accommodated in the lines whether at the Headquarters or in the detachment area. They are also entitled to a detachment allowance at varying rates and city compensatory allowance wherever admissible.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Officers from States on Deputation in Delhi

1036. Shrimati Savitri Shyam: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of State Civil Service Officers from other States who were on deputation with the Delhi Administration on the 31st March, 1967;

(b) the original date from which each such Officer is on continuous deputation from his parent State;

(c) the number out of these Officers who are in receipt of special pay or deputation allowance;

(d) whether it is a fact that a number of senior officers of the Delhi and *Himachal Pradesh Civil Services* have been denied special allowance posts because large number of such posts are blocked by these deputationists; and